रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85] नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2005/ज्येष्ठ 11, 1927
No. 85] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2005/JYAISTHA 11, 1927

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून, 2005

देश की सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने के लिए डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में जनवरी, 2000 में सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने देश के समस्त कोर सांख्यिकीय कार्यकलापों के लिए एक नोडल एवं शक्तिसंपन्न निकाय के रूप में कार्य करने, सांख्यिकीय प्राथमिकताओं एवं मानकों को विकसित, प्रबोधित एवं लागू करने तथा सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करने हेतु एक सांविधिक राष्ट्रीय आयोग के गठन की सिफारिश की। रंगराजन समिति ने यह भी सिफारिश की कि आयोग को शुरू में थोड़े से अधिकार के साथ गठित किया जाए ताकि जब यह कार्य करना शुरू करे तो इसकी उभरती जरूरतों तथा मूल वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जा सके । इसके मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया कि आयोग को शुरू में सरकारी संकल्प द्वारा गठित किया जाएगा । आशा है सांविधिक आयोग का गठन एक वर्ष की अवधि के भीतर कर लिया जाएगा ।

2. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे --

(क) एक अंशकालिक अध्यक्ष, जो एक प्रख्यात सांख्यिकीविद् अथवा समाजशास्त्री हो/रहा हो, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा ।

(ख) चार अंशकालिक सदस्य, निम्नलिखित क्षेत्रों से एक-एक, जिसे भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा तथा जिन्हें निम्नलिखित में विशेषज्ञता तथा अनुभव हासिल हो -

(i) कृषि, उद्योग, बुनियादी सुविधा, व्यापार अथवा वित्त जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सांख्यिकी,

(ii) जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार अथवा पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी,

(iii) गणना, सर्वेक्षणों, सांख्यिकीय सूचना प्रणाली अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सांख्यिकीय प्रचालन, तथा

(iv) राष्ट्रीय लेखा, सांख्यिकीय मॉडलिंग अथवा राज्य सांख्यिकीय प्रणाली

(ग) सचिव, योजना आयोग, पदेन सदस्य के रूप में ।

(घ) सचिव, सांख्यिकी ओर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के कार्यभार ग्रहण करने तक आयोग के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद का पद विशेष रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के अध्यक्ष के रूप में सृजित किया गया है जो सांविधिक आयोग का सचिव होगा ।

3. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिव (भारत के मुख्य सांख्यिकीविद) को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विधिवत गठित सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर चयनित किया जाएगा । सर्च कमेटी में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(i) योजना आयोग के उपाध्यक्ष	- अध्यक्ष
(ii) भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर	- सदस्य, तथा
(iii) दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो ख्यातिप्राप्त सांख्यिकीविद अथवा सामाजिक वैज्ञानिक हो सकते हैं और जिन्हें देश की सांख्यिकीय प्रणाली का प्रगाढ़ ज्ञान हो	- सदस्य

4. सर्च कमेटी अध्यक्ष के चयन हेतु तीन व्यक्तियों के नाम की सिफारिश भारत सरकार को करेगी और उनमें से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा । सर्च कमेटी 2(ख) तथ 2(घ) की प्रत्येक श्रेणी में से दो व्यक्तियों के नामों जो क्रमशः सदस्य तथा मुख्य सांख्यिकीविद की नियुक्ति पाने के पात्र हों, की भी सिफारिश करेगी और भारत सरकार 2(ख) के अंतर्गत आयोग के सदस्यों के रूप में प्रत्येक श्रेणी से एक सदस्य नामित करेगी तथा मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त करेगी ।

5. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । अध्यक्ष का दर्जा राज्यमंत्री के बराबर का तथा सदस्य भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होंगे ।

6. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा:

(क) कोर सांख्यिकी की पहचान करना जो राष्ट्रीय महत्व की है और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बाधक है ।

(ख) विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर आयोग को सहायता देने के लिए व्यावसायिक समितियां अथवा कार्य समूह गठित करना,

(ग) सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं का विकास करना ,

(घ) सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों तथा रीतिविधानों को विकसित करना और क़ोर सांख्यिकी संबंधी राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक तैयार करना,

(ड.) विभिन्न आंकड़ा सेटों के लिए रिलीज कैलेंडर सहित कोर सांख्यिकी के संग्रहण, सारणीयन और प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां तैयार करना ।

(च) सांख्यिकीय प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आवश्यकताओं सहित सरकारी सांख्यिकी पर मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां विकसित करना;

(छ) सरकारी सांख्यिकी में जन विश्वास सुधारने हेतु उपाय विकसित करना;

(ज) मौजूदा संस्थागत तंत्रों के सुदृढ़ीकरण सहित सांख्यिकीय गतिविधियों पर राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों के साथ प्रभावी समन्वय हेतु उपाय निकालना;

(झ) मंत्रालयों, विभागों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य अभिकरणों के बीच सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करना;

(ञ) केन्द्र सरकार, अथवा कोई राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, को (ग) से (ज) तक के खंडों के अंतर्गत तैयार किए गए मानकों, रणनीतियों तथा अन्य उपायों आदि के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपाय सुझाना;

(ट) सरकार को राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग हेतु संविधि सहित सांख्यिकीय मुद्दों पर विधायी उपायों की आवश्यकता संबंधी सलाह देना ।

(ठ) तैयार की गई नीतियों, मानकों तथा रीतिविधानों के मद्देनजर सांख्यिकीय प्रणाली के कार्यों का प्रबोधन तथा समीक्षा करना और निष्पादन वृद्धि हेतु उपायों की सिफारिश करना ।

7. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना के साथ-साथ केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन(सीएसओ) तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) का एकल सत्ता में विलय हो जाएगा जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) कहा जाएगा जो सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत सरकार के कार्यकारी स्कंध

के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा तैयार की गई नीतियों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करेगा । राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव की रैंक का एक अधिकारी होगा जिसे भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में पदनामित किया जाएगा और वह आयोग के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा । वे सांख्यिकी विभाग में भारत सरकार के सचिव को कार्य करेंगे ।

8. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के दो स्कंध होंगे, अर्थात् (i) केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय; तथा (ii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय । संगणक केन्द्र, जो आंकड़ा भंडारण तथा प्रसार का कार्य करता है, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय का भाग होगा । इस प्रकार, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद की सहायतार्थ सांख्यिकी के दो महा निदेशक, अर्थात् एक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का प्रभारी तथा दूसरा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय का प्रभारी होगा जिसका रैंक भा.सां.से. के उच्चतम प्रशासनिक ग्रेड-I (एचएजी-I) का होगा ।

9. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की सेवार्थ एक सचिवालय होगा जिसका अध्यक्ष आयोग का सचिव होगा जिसकी सहायता हेतु वरिष्ट प्रशासनिक ग्रेड में भारतीय सांख्यिकीय सेवा का एक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होंगे ।

10. आयोग के पास अपने कार्यों को प्रभावी तथा क्षमतापूर्ण ढंग से निपटाने हेतु अपेक्षित स्वायत्तता होगी । विशेष रूप से आयोग के पास निम्नलिखित कार्यों हेतु शक्ति होगी:

(क) किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की मांग करना जो आयोग की राय में सांख्यिकीय जरूरतों को पूरा करेगा अथवा पूरा कर सकता हो,

(ख) "कोर सांख्यिकी " के संदर्भ में प्रयुक्त अवधारणाओं, परिभाषाओं, अनुसरित रीतिविधानों, अपनाए गए गुणवत्ता मानकों, प्रतिचयन तथा गैर प्रतिचयन त्रुटियों आदि सहित सांख्यिकीय गतिविधियों के ब्यौरे उपलब्ध कराने हेतु

सांख्यिकीय अभिकरणों तथा संस्थानों की अपेक्षा रखना, तथा

(ग) कोर सांख्यिकी से जुड़े मामलों पर किसी लोक सेवक सहित किसी व्यक्ति को उपस्थित होने का आदेश देना ।

(घ) साक्ष्यों अथवा दस्तावेजों अथवा कोर सांख्यिकी से संबद्ध किसी मामले की जांच हेतु नोटिस जारी करना ।

11. आयोग के पास अपने संक्षिप्त तथा विस्तृत अवधि के कार्यक्रम तैयार करने का अधिकार भी होगा ।

12. "वित्त वर्ष के दौरान अपने क्रिया कलापों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे केन्द्र सरकार को भेजेगा । केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ उसमें की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई और ऐसी अनुशंसाओं को स्वीकृत न किए जाने के कारणों पर एक ज्ञापन संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत करेगी । जहां कोई अनुशंसा अथवा कोई भी भाग किसी राज्य सरकार से संबंधित होगा, तो आयोग ऐसी अनुशंसा और उक्त भाग को राज्य सरकारों को अग्रेषित करेगा जो राज्य संबंधी अनुशंसाओं पर कृत कार्रवाई और ऐसी अनुशंसाओं को स्वीकार न करने के कारणों, यदि कोई हों, को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन सहित उक्त भाग को राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।"

13. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना के कारण वार्षिक व्यय, जिसमें वेतन एवं मजदूरी, घरेलू यात्रा, कार्यालय व्यय, भवन किराए पर लेना, व्यावसायिक सेवाए, प्रशासनिक सेवाएं तथा आयोग की दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक जरूरतें शामिल हैं, को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक मांग से पूरा किया जाएगा और जिसे संसद द्वारा "स्वीकृत" किया जाएगा ।

(सं.ए-11011/1/2005-प्रशा.I)

अरुण कुमार सक्सेना
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

RESOLUTION

New Delhi, the 1st June, 2005

No. A-11011/1/2005-Ad.I – The National Statistical Commission set up by the Government in January 2000 under the Chairmanship of Dr. C. Rangarajan to review the statistical system of the country recommended the establishment of Statutory National Commission on Statistics to serve as a nodal and empowered body for all core statistical activities of the country, evolve, monitor and enforce statistical priorities and standards and to ensure statistical co-ordination. The Rangarajan Commission also recommended that the Commission be set up initially through a Government order with a modicum of authority so as to evolve the legislation taking into account the ground realities and the emerging requirements when it starts to function. In line with the above recommendations, it has been decided to set up the Commission initially through a Government resolution. It is expected that the Statutory Commission would be set up within a period of one year.

2. The National Statistical Commission will consist of -